

15.04.25

वकील वादी द्वारा ज.पत्र पेश करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। वादी द्वारा ज.पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का प्रतिवादीगण के साथ राजीनामा हो चुका है अतः वादपत्र नोट प्रेंस के आधार पर इसी स्तर पर खारिज करमाया जावे। वादी का ज.पत्र स्वीकार किया जाकर राजीनामा के आधार पर वादीगण का यह वादपत्र नोट प्रेंस के आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली का तस्तीब तकमील होकर दायिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

RAS  
15.04.25

(किरण पाल)  
RAS  
उपखण्ड अधिकारी  
घड़साना

Note Present.

नारायण

Handwritten signature  
(किरण पाल)